विविध पत्रावली 2025/000

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

गुरभेज सिंह व अन्य बनाम श्याम लाल व अन्य

प्रकरण संख्या 2025/039

online #

अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
08.05.2025	वादीगण अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 13 मई, 2025 को पेश हो. [signature]	
13.05.25	अधिवक्ता वादी उप. । प्रति. सं. 1 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर ने वकालतनामा पेश किया, शामिल पत्रावली हो। वादी एवं प्रति. सं. 1 व 5 द्वारा [illegible] स्वयं उप. आकर राजीनामा मय अपने-अपने पहचान पत्र की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की एवं [illegible] राजीनामा पर अपने हस्ताक्षर [illegible] किये। प्रतिवादीगण के [illegible] वादीगण को [illegible] लोक अदालत की भावना से राजीनामा [illegible] किया है। वादीगण से [illegible] अधिवक्ता श्री संजय [illegible] पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पहचान जनवेजा एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गई। राजीनामा [illegible] किया गया। पत्रावली शामिल पत्रावली किया [illegible] वास्ते [illegible] 20.05.25 को पेश हो। [signature]	गुरभेजसिंह गुरप्रगट सिंह [signature] [signature] Advocate 13/5/2025 [illegible] Jugul [illegible] Kuldeep जशनदीप कौर सतवीर कौर [signatures]
20/05/25	अधिवक्ता वादी उप. । [illegible] उप. । [illegible] शामिल पत्रावली [illegible] 13.05.25 का दर्ज राजीनामा [illegible] के अनुसार वाद का [illegible] किया। पत्रावली का [illegible] मुताबिक आदेश [illegible] राजीनामा दिनांक 13.05.25 वाद [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:20:06 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध
निर्णय पृथक से लिखवाया
जाकर नत्थी किया गया। अधिवक्ता
वादी के पक्ष डिक्री हेतु कार्यालय
Stamp शुल्क प्रस्तुत करें। तथा
डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली में
अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के बाद
निर्णित सूची में शामिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:20:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, R.A.S
वाद संख्या 39 / 2025
अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गुरभेज सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरप्रगट सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

....वादीगण

ब ना म

1. श्याम लाल पुत्र श्री पुजारा राम जाति अरोड़ा नि0 वार्ड न0 6, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
2. जुगल किशोर पुत्र श्री श्याम लाल जाति अरोड़ा नि0 वार्ड न0 6, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
3. कुलदीप कुमार पुत्र श्री श्याम लाल जाति अरोड़ा नि0 वार्ड न0 6, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
4. जशनदीप कौर पत्नी श्री गुरभेज सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तह0 श्रीगंगानगर।
5. सतवीर कौर पत्नी श्री गुरप्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तह0 श्रीगंगानगर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादी)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रति. संख्या 1 से 5)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–6)

दिनांक 20 मई 2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वाके वादीगण के नाम से वाके चक 6 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के 124/110 के मुरब्बा नम्बर 34 में 1.545 है0 नहरी कृषि भूमि तथा प्रतिवादीगण के नाम से इसी चक 6 एलएल के खाता संख्या 7/5 की कुल 4.807 है0 में से 1/19–1/19 हिस्सा यानि 0.506 है0 भूमि तथा खाता संख्या 44/40 के मुरब्बा नम्बर 35 की 1.518 है0 में से 1/6–1/6 हिस्सा यानि 0.506 है0 भूमि दर्ज कागजात माल है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 92/71 का मुरब्बा नम्बर 31 की कुल 1.645 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से इसी चक़ 4 एल एल के खाता संख्या 129/92 के मुरब्बा नम्बर 31 की 0.759 है0 भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से इसी चक 4 एल एल के खाता संख्या 128/92 के मुरब्बा नम्बर 31 की 0.759 है0 कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की उक्त चक 4 एलएल में स्थित भूमि के साथ चिपती वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 की अन्य भूमि है। प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज उक्त भूमि में आने जाने के लिए रास्ता मंजूर नहीं होने के कारण एवं उक्त भूमि वादीगण की भूमि के साथ चिपती होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी आपसी सहमति से उक्त भूमि का आपस में घरू मौखिक तबादला किया हुआ है तथा घरू तबादला के अनुसार जो भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है, उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 काबिज चले आ रहे है तथा जो भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के नाम से है, उस भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज चले आ रहें है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी आपसी सहमति से काफी समय पूर्व उक्त भूमि का तबादला किया था। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा घरू तबादलानामा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को चक 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:20:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगा...

खाता संख्या 92/71 का मुरब्बा नम्बर 31 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि में दी हुई है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 काबिज चलें आ रहें है तथा मौका पर काश्त कर रहें है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, उक्त रकबा का तुम्हारे नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए सक्षम कार्यालय में उपस्थित होकर सहमति से अपने हस्ताक्षर कर देगें। इस विश्वास पर वादीगण ने अपने हिस्सा में आए हुए उक्त रकबा में मेहनत करके सुधार कार्य करवाया है। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो वह टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 02.04.2025 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को सहमति से कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा कर देने से साफ इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। अन्त में वादीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के नाम से दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 चक 6 एल एल व जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 चक 4 एल एल तहसील श्रीगंगानगर संलग्न कर प्रस्तुत की गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 6 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 13.05.2025 प्रस्तुत किया। वादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादी के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया। प्रति सं0 4 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 13.05.2025 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 चक 6 एल एल व जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 चक 4 एल एल तहसील श्रीगंगानगर एवम् राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 13.05.2025 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है।

1. यह कि वादीगण गुरभेज सिंह व गुरप्रगट सिंह पिसरान श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासीगण 4 एल एल ढींगावाली राठान को चक 4 एल एल के खाता संख्या 92/71 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 2 में से 0.202 है0 पूर्वी हिस्सा, 9 में से 0.203 है0 पूर्वी हिस्सा, 12 में से 0.203 है0 पूर्वी हिस्सा, 13/1 की 0.127 है0 कुल 0.735 हैक्टेयर (श्याम लाल [illegible]) [illegible] संख्या 128/92 का मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 22 में से 0.202 है0 पूर्वी हिस्सा व किला नम्बर 23 की 0.253 है0 कुल 0.455 हैक्टेयर (कुलदीप कौर के [illegible]), खाता संख्या 129/92 का मुरब्बा नम्बर 31 के किला [illegible] 18 की 0.2[illegible] है0 व किला नम्बर 19 में से 0.202 है0 भूमि कुल 0.455 हैक्टेयर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। अतः उक्त रकबा वादीगण के नाम से दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:20:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

2. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 जशनदीप कौर पत्नी श्री गुरभेज सिंह व सतवीर कौर पत्नी श्री गुरप्रगट सिंह जाति जटसिख निवासीगण 4 एल एल ढींगावाली राठान को चक 4 एल एल के खाता संख्या 92/71 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 की 0.253 है0, 2 में से 0.051 है0 पश्चिमी हिस्सा, 9 में से 0.050 है0 पश्चिमी हिस्सा,

10 व 11 की 0.506 है0, 12 में से 0.050 है0 पश्चिमी हिस्सा कुल 0.910 हैक्टेयर (श्याम लाल के नाम वाली), खाता संख्या 128/92 का मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 21 की 0.253 है0 व किला नम्बर 22 में से 0.051 है0 पश्चिमी हिस्सा कुल 0.304 हैक्टेयर (कुलदीप कुमार के नाम वाली), खाता संख्या 129/92 का मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 19 में से 0.051 है0 पश्चिमी हिस्सा व किला नम्बर 20 की 0.253 है0 भूमि कुल 0.304 हैक्टेयर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। अतः उक्त रकबा प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के नाम से दर्ज किया जावे।

3. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 जुगल किशोर व कुलदीप कुमार पिसरान श्री श्याम लाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 6, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर को चक 6 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 124/110 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 1.545 है0 नहरी कृषि भूमि (वादीगण गुरभेज सिंह व गुरप्रगट सिंह के नाम वाली) तथा इसी चक 6 एल एल के खाता संख्या 7/5 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 4.807 है0 में से 1/19–1/19 हिस्सा यानि 0.506 है0 भूमि (प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 जशनदीप कौर व सतवीर कौर के नाम वाली) का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः उक्त रकबा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 श्याम लाल पुत्र श्री पुजारा राम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 6, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर को चक 6 एल एल के खाता संख्या 44/40 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.518 है0 में से 1/6–1/6 हिस्सा यानि 0.506 है0 भूमि (प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 जशनदीप कौर व सतवीर कौर के नाम वाली) का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा ड़िक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20 मई 2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.05.16 11:20:06 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
(आर.जे.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर